रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 1983/वैशाख 13, 1905
No. 74] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 1983/VAISAKHA 13, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 15—आई०टी०सी० (पी०एन०)/83

नई दिल्ली, 3 मई, 1983

विषय :—1981-82 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 2,134 बिलियन (येन 2,134,653,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान-सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आई०पी०सी०/23(1)/83 से जारी :—1981-82 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 2,134 बिलियन (येन 2,134,653,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तों को लागू होने वाली जैसी शर्तों (1-10-1981 से 30-9-1982 तक) इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

रीमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक

सार्वजनिक सूचना संख्या 15—आई०टी०सी० (पी० एन)/83 दिनांक 3 मई, 1983 का परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1981-82 के लिए 1-10-1981 से 30-9-1982 तक 2,134 बिलियन (येन 2,134,653,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड-1 : सामान्य शर्तें

1 (1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2,134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा ओ०ई०सी०डी० और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं **जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उक्त सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस अनुदान के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।** इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबंध 2 में दी गई है।

1 (2) लाइसेंस पर एक वार्षिक 1981-82 के लिए 2,134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस०/जे० एन०" होगा ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के लिए आयात लाइसेंस के अंग्रेथित पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

1 (3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1 (4) आयात लाइसेंस आगत बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा।

लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस धारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1 (5) पक्के आदेश अनुबंध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर अवर सचिव (टीए) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), वित्त ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिएं। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों का क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश और/या भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1 (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का सब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) वित्त ब्लाक नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1984 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :—

2. (क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू० एस० डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेन्ट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। **भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।**

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2 (2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की अनिष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र क्रेता देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र क्रेता देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3 संभरक निम्नलिखित ठेकों की शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए।

3 (1) 1981-82 के लिए 2,134 मिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 1 फरवरी, 1983 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3 (2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए०पी०) के माध्यम से किया जाएगा जो 1981-82 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3 (3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3 (4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिसमें उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में जहां भारतीय आयातक सहायता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक ब्यौरे देते हुए पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए। और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4 : भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :

4 (1) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्र पार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध 3 के प्रपत्र में "ए०पी० जारी करने के आवेदन" की 2 प्रतियों सहित संगतबध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी०ए०) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होंगी।

4 (2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिए 'आवेदन पत्र' और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4 (3) उपर्युक्त (2) मे उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियाँ भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक भारत मे आयातक के बैंक और जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

4 (4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान की सरकार भारत के राजदूतावास टोकियो आयातक क भारत मे बैंक सहायता लेखा एंव लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4 (5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो दस्तावेज मे उल्लिखित धनराशि का विदेशी संभरक को उनके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6), संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिये बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्च, भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएगे।

खण्ड-5 : रुपया जमा करने का उत्तर-दायित्व :

5(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत मे आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 के अंत मे उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजो के ये विनियम सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू०एस० डालर/पौण्ड स्टालिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलो में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक हो की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा मे जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनो दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन/यू०एस० डालर/पौंड धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 मे निर्धारित मुद्रा, विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। **इस बात का सुनिश्चत करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशी सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है।** लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि अपने बैंकरों के दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिसे लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज-843-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फोर परचेजिंग एसेट्स एब्राड परचेस ग्रान्ट ऐंड फ्राम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1981-82) येन 2,134 विनियम ग्रान्ट ऐड-ऋण सहायता।

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली मे या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली मे सरकार की शाखा में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपगमी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्त्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना स० 184-आईटीसी (पीएन)/67 दिनांक 30-8-68, सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68 स० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 मे निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनो के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना स० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 मे निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप मे निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान मे निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप में प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने है।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।
(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे मे समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है)।

उसके पश्चात सी०ए०ए०एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजो को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी.—भारत मे आयातक के बैंक का यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इण्डिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजो की प्राप्ति के दस दिनो के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इण्डिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निवेशों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड—6 : विविध शर्तें :—

6(1). आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोतस्व-दान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए० एण्ड ए० आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2). संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंस धारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3). विवाद :

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस धारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर दायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबन्ध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4). भविष्य अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1981-82 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5). अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

6(6). अनुबंधों की सूची :

अनुबन्ध—1 पात्र स्रोत देशों की सूची

अनुबन्ध—2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबन्ध—4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) आ०ई०सी०डी० देश :

आस्ट्रेलिया	बेलजियम
कनाडा	डेनमार्क
फिनलैंड	फ्रांस
जर्मनी संघीय गणराज्य	यूनान
आईसलैंड आयरलैंड	इटली
जापान	लग्जमबर्ग
दी नीदर लैंड	न्यूजीलैंड
नार्वे	पुर्तगाल
स्पेन	स्वीडन
स्वीटजरलैंड	तुर्की
दि यूनाइटिड किंगडम	और यूनाइटिड स्टेट्स

(ख) याचनशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नाम-ओ०पी०ई०सी० विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र	मोरोक्को
सुनीशिया	

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला	बोत्सवाना
बरुन्डी	कैमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह	केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र
चाद	कमोरी द्वीप समूह
इथोपिया	जाम्बिया
कांगो, दमोह्र गणराज्य	इक्वेटोरियल गाईना
घाना	गिनी
आइवरी कोस्ट	कीनिया
लेसोथे	लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र	मालावी
माली	
मारिसेनिया	मारीशस
मोजाम्बीक	नाइगर
पुर्तगाल गिनी	रियुनियन
रोडेशिया	रवान्डा
सेट हेलिना और डेप (2)	सोओटोम प्रिन्सिपी
सेनेगल	सिचिलीज
सियरा लिओन	सोमालिया
सूडान	स्वाजीलैंड
टेरों अफार्स और इसास	टागों
युगान्डा	तन्जानियां गणतंत्र संघ
अपर वोल्टा	जायरे गणतन्त्र
जाम्बिया	

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहामास	बारबाडोज
बेलाइज	बरमुडा
कोस्टोरिका	क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र	एल्साल्पेडोर
गुवाडेलोप	ग्वाटेमाला (*)
हैती	होन्डूरस
जेमैका	मार्टिनिक-क्यू
मैक्सिको	नीदरलैंड एंटिलीज
निकारगुआ	पनामा
सेंट पियरी और मिक्यूलोन	ट्रिनिडाड और टोबागो

(1) पहले स्पेनीश गिनी का प्रदेश . फरनान्डो पो द्वीप समूह।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेन्शन, ट्रिस्टन डा इन एक्सेसिबल्स, नाइटिंगैल गफ।

(3) मैन समूह, अरुबा, बोनाइरे, क्यूराकाओं, साहा, सेंट यूस्टासिट, सेंट मारटिन (दक्षिण भाग)।

अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय (क्रमशः)

वेस्ट इण्डीज शाखा (एन आई ई)

(क) संबंधित राज्य (1)	(ख) आश्रित राज्य (2)

4. दक्षिणी अमरीका

अर्जेन्टीना	बोलिविया
ब्राजील	चिली
कोलम्बिया	फाल्कलैंडद्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी	गुयाना
पाराग्वे	पेरू
सूरिनाम	उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन	इजराइल
जोर्डन	लेबनान
ओमन	सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात	यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी की आर (4)	

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान	बांगलादेश
भूटान	बर्मा
मालद्वीप	नेपाल
पाकिस्तान	श्रीलंका

7. सुदूर पूर्व एशिया

ब्रुनेई	हांगकांग
खमेर गणतंत्र	कोरिया गणतंत्र
लाओस	मकाओं
मलेशिया	फिलीपाइन
सिंगापुर	ताइवान
थाईलैंड	तिमर
वियतनाम गणतंत्र	वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8 ओसिनिया

कोक द्वीप समूह	गिनी
गिल गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप	फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नोरू	न्यूकोलेडोनिया
न्यूहैबरीसिस (ब्रि और फ्र०)	ह्यू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य 6)	पापुओ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रि)	टोंगो
वालिस और फतुना	पश्चिम समाओ

9. यूरोप

साइप्रस	जिब्राल्टर
ग्रीक	माल्टा
स्पेन	तुर्की
युगोस्लाविया	

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रैनाडा, सेन्ट किट्स, सेन्ट करिस्टोफे, नैविस अंगुइला, सेंट लुसिया और सेन्ट विन्सेंट।

(2) मैन आई लैन्ड, मोन्टसेराश्ट, गैमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिस वरजिनद्वीप समूह।

(3) अजमन, दुबई, फुजाइरह, रास अल खेमाह, शेरजाह और उम्मल कवेन।

(4) अदन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आई लैंडस् समूह (नाहिती सहित) को शामिल करते हुए आइल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्कोसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मैराइन द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(खण्ड – 2) ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गैबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
आबू धाबी
इन्डोनेशिया

अनुबन्ध – 2

पात्र पण्य सूची

1. रोल्ज।
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात।
3. ट्रकों और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे।
4. रसायन।
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल।
6. बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे।
7. मशीनरी, संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल।
8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपस्कर।
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिये मशीनरी, उपस्कर और फालतू पुर्जे।
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध– 3

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र"

सं० दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली–110001

विषय :— 1981-82 के लिए 2,134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि · · आयात के संबंध में है सम्बद्ध सभरक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया,

टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :--

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके--क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)।

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) संभरक का नाम और पता।

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सैटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (याहनान्तरण/पार्ट-शिपमंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए)।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है। यदि हां, तो ऐसी संविदा की दिनांक और मूल्य।

भवदीय

अनुबन्ध 4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इण्डिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय:—2.134 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्व श्री--------------------------- के नाम में---------------येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकृत पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक को बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र-----------तक वैध रहेगा।

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :--

1. आयातक-------------को उनके पत्र सं० -------------- दिनांक---------------के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक------------उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो, ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यू एस डालर/पौंड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं 8-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन)/76 दि० 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं 23-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्रा एब्राड-परचेजिस ग्रांट एंड फाम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1981-82 (येन 2.134 बिलियन ग्रांट एंड डेबिट रिलीफ)"।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्गीनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे इंडिया बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4 भारतीय दूतावास, टोकियो।

5 अवर सचिव (टी ए) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 15—ITC(PN)|83

New Delhi, the 3rd May, 1983

Subject.—Licensing conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.134 Billion (Y 2,134,653,000 (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan.

Issued from file No. IPC|23(1)|83.—The terms and conditions governing the licensing conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.134 Billion (Y 2,134,653,000) (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan (from 1.10.81 to 30.9.82) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 15|ITC(PN)|83 DATED THE 3RD MAY, 1983.

Licensing conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese grant aid of Yen 2.134 Billion (Y 2,134,653,000) (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan (from 1.10.81 to 30.9.82).

Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.134 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries except India. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be *imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant.* The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.134 billion Japanese Grant Aid for 1981-82". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and|or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date or shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1984.

Section II.—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in *Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.*

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the suppier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a uridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement date the 1st February, 1983 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.134 billion for 1981-82 "and will be subject to the approval of Government of India".

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1981-82.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV.—Contract Approval by Govt. of India.

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A|P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents "Request for issue of A|P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Deartment of Economic Affairs) Jaan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A|P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V.—Resonsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will lbe invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (0) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|US$|Pound Sterling Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16.6.76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12.10.1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|US$|Pound Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17.1.1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. *It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers.* The licencee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is 'K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroadpurchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 2.134 billion Grant Aid—Debt-relief).

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30.8.1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24.10.68 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5.10.1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31.5.1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12.10.1976.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5.10.1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31.5.1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12.10.1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI.—Miscellaneous provisions.

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the A|P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under

"Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI (iv) Future Instructions.

The Licencee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1981-82 from Japan.

VI (v) Breach or violation.

Any breach of violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI. (vi) **List of Annexures**

Annexure-I	List of eligible source countries
Annexure-II	List of eligible commodities
Annexure-III	Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).
Annexure-IV	Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE-I

List of Eligible Source Countries

A. **OECD Countries**

Australia
Belgium
Wanada
Denmark
Finland,
France,
The Federal Republic
of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turhey
the United Kingdom and
the United States.

B. **Developing Countries & Territories**

(b1) **Non-O.P.C.E Developing countries**

I. **AFRICA, North of Sahara**

Egypt
Morocco
Tunisia

II. **AFRICA, South of Sahara**

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cope Verde Islands
Central African Rep
Chad
Comoro Islands
Congo, People's
Republic of Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tome and Principee
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and
Issas
Tago
Uganda
Un. Rep. of Tanazania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
(2) Including the following Islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
(3) Main Islands, Aruba, Bomaire, Curacao, Saba, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

III. **AMERICA, North and Cent.**

Bahamas
Barbodoses
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique

Mexico
Netherlands & tilies
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA. South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA Far East

Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timer
Vietnam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

(1) Main islands : Antiguia, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
(2) Main islands : Montserrant, Gayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Ummel al Qualwain.
(4) Including Aden and various sultanates and emirates.
(5) Comprising the Society Island (including Tahitr) the Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
(6) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

VIII. OCEANIA

Cock Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Hicu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus
Gibralter
Greece
Malta S
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) **Member or Associate Countries of OPEC**

Algeria
Bolivia
Libyan ab Rdpublic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

Eligible Commodity List

1. Rolls
2. Steel including special steel and alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials

8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector

9. Machinery, equipment and spares for the Oil and Natural Gas sector

10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE III

"Request for issue of the authorisation to pay"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject.—Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 2.134 billion for 1981-82.

Sir,

In connection with the import of ———— from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen, if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F value (in Yen) or which the A/P is required.

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and Address of the supplier.

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of the Importer's Bank in India.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE IV

No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject.—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.134 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13.3.1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen ..... to M|s. ..... (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo|Importers Bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A|P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. The A|P will remain valid upto .....

Yours faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer ..... with reference to their letter No. ..... dated .....

2. Importer's Banker ..... they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen|US|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17.1.1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16.6.1976. The interest is payable or both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Natinoalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC(PN)|68 dated 24.10.1968, No. 132-ITC (PN)|71 dated 5.10.1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31.5.74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12.10.1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 2.134 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5.10.1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24.10.1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983